एन-35018/28/2022-अप.निदे. (सीआरएस) कार्यालय

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सीआरएस सेल, कमरा सं - 116, ए विंग, शास्त्री भवन , नई दिल्ली

****

दिनांक- 18 जुलाई 2024

एडवाईजरी

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) संचालित करने की अनुमति प्राप्त सभी संगठनों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए जारी वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) को इसकी समाप्ति से काफी पहले नवीनीकृत किया जाए। डब्ल्यूओएल का नवीनीकरण संचार मंत्रालय द्वारा संचालित 'सरल संचार पोर्टल' नामक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। डब्ल्यूओएल के नवीनीकरण के लिए अपेक्षित स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान केवल सरल संचार पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

पिछले कुछ समय में यह देखा गया है कि कई मामलों में संगठनों ने डब्ल्यूओएल के नवीनीकरण के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क भारत कोष पोर्टल के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के अंतर्गत, गलत लेखाशीर्ष में जमा किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को भुगतान की गई राशि को संचार मंत्रालय के सही लेखाशीर्ष में अंतरित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त को देखते हुए, सभी सीआरएस को यह सलाह दी जाती है कि डब्ल्यूओएल और इसके नवीनीकरण के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क केवल सरल संचार पोर्टल के माध्यम से ही जमा किया जाए।

(गौरीशंकर केसरवानी)
अपर निदेशक (सीआरएस सेल)
दूरभाष 011-23386547
ईमेल-gs.kesarwani.pb@nic.in

सेवा में,
सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन